

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- हेमा

विपक्षी :- भूरा

किस्म मुकदमा - विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी.

पत्रावली संख्या : 02 / 2020

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 03.01.2020</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. के तहत पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद सं. 08/08 को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 08/08 अनवान हेमा बनाम भूरा दिनांक 26.08.2019 को वादी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। चूंकि मूल पत्रावली के अवलोकन से मूल पत्रावली में इस न्यायालय की निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.03.2003 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया गया व अपने निर्णय दिनांक 14.11.2007 से प्रकरण को पुनः इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाने से निर्णय की पालना में तहसीलदार मावली से बंटवाडा प्रस्ताव के इन्तजार में पत्रावली विचाराधीन थी। उसके पश्चात् वादी व प्रतिवादी की लगातार अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। जिसे नम्बर पर लेने के लिए आज वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। वादी द्वारा लगभग 4 माह के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि वाद को चलाने के लिए वादी व उनके अधिवक्ता दोनों का ही यह दायित्व होता है कि वे न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्येक पेशी पर दोनों में से एक न्यायालय में उपस्थित रहे। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादी की भूल समझा जा सके। फिर भी वादी का वाद में हित होने से न्यायहित में भारी कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का 3,000/- अक्षरे तीन हजार रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 08/08 अनवान हेमा बनाम भूरा में आदेश दिनांक 26.08.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करने पर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षय गोदारा I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

